सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

आसाराम बनाम खेमाराम

नम्बर 42/ 2019

किस्म मुकद्मा– 225 आरटीए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.08.19	अभिभाषक अपीलांट श्री राजेश बैद व केवियटकर्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की तरफ से श्री नरेन्द्र गौड़ उपस्थित। अपील बाद जॉच, रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र की प्रति अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को दी गई। जो स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु समय चाहते है। पत्रावली दिनांक 20–08–2019 को पेश हो।	
20.08.19	अभिभाषक अपीलांट व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की तरफ से श्री नरेन्द्र गौड़ ने वकालतनामा पेश किया। अभिभाषकगणों को पत्रावली पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23–08–2019 को पेश हो।	
27.08.19	दिनांक 23–08–2019 को राजकीय अवकाश धोषित होने के कारण पत्रावली आज दिनांक को पेश हुई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि चक 3 डीएल के मुरब्बा नम्बर 168/48 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा, मुरब्बा नम्बर 168/56 के किला नम्बर 21 ता 25 तादादी 05 बीघा व मुरब्बा नम्बर 168/64 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी कुल तादादी 55 बीघा भूमि अपीलांट को आवंटनशुदा भूमि है। जिस पर अपीलांट का आवंटन की दिनांक से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि पर कभी भी किसी प्रकार का कोई रास्ता ना तो पूर्व में था नाही आज दिनांक तक कोई रास्ता प्रचलन में है ना ही सीएडी चकप्लान में कोई रास्ता कायम किया गया है। उक्त स्थित स्पष्ट होते हुए भी बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बावजूद भी गिरदावरी सवत् 2045 से 2048 में मात्र पटवारी हल्का द्वारा प्रत्येक मुरब्बा के किला नम्बर 21 ता 25 में से 04–04 बिस्वा रास्ता का इन्द्राज कर दिया गया। ऐसीस्थिति में अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किये गये इन्द्राज को दुरूस्ती कराने तथा वादग्रस्त	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

भूमि को आपने नाम दर्ज कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धोषणात्मक दावा एवं चिरनिषेधाज्ञा का दावा प्रस्तत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01–07–2019 को अपीलांट के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। तत्पश्चात् उक्त आदेश को अपनी पूर्व की अवधारणा के विपरीत जाकर पूर्व में धारा 136 एलआरएक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय की आड़ में अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि मौके पर उक्त स्वीकृतशुदा रास्ते के अतिरिक्त कोई रास्ता मौके व रिकार्ड में नहीं है। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक आवागमन के रास्ते की भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान किया जाना न्यायोचित नहीं है। जबकि चकप्लान से यह प्रथम दृष्टया ही साबित है कि अपीलांट की खातेदारी भूमि पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है। चकप्लान के अनुसार रास्ता रेस्पोडेन्ट की भूमि में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

चूंकि वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है। दौराने अपील यदि अपीलाधीन आदेश की आड़ में जबरन रास्ता कायम किया गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि चक 3 डीएल के मुरब्बा नम्बर 168/48 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा, मुरब्बा नम्बर 168/56 के किला नम्बर 21 ता 25 तादादी 05 बीघा व मुरब्बा नम्बर 168/64 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी कुल तादादी 55 बीघा भूमि के मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वे अपीलांट की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना करें ना ही ऐसा कोई कृत्य करें जिससे अपीलांट के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पर लगभग 30 वर्षो से गैर मुमकिन रास्ता चला आ रहा है तथा मौके पर आज दिनांक को भी रास्ता कायम है जो सार्वजनिक उपयोग हेतु रास्ता उपयोग में लिया जा रहा है। अपीलांट द्वारा न्यायालय को अंधेरें में रखकर दावा धोषणात्तमक व चिरनिषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। जबकि वादग्रस्त भूमि के बाबत् पूर्व में अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल,

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

अजमेर तक चाराजोई की जा चुकी है। वर्तमान में रास्ता माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में प्रार्थीगण की मौजूदगी में आपसी सहमति से रास्ता चालु करवाया जा चुका है।

वादग्रस्त भूमि में कायम व चालु रास्ता के संबंध में अपीलांट द्वारा पूर्व में उपखण्ड अधिकारी के समक्ष दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत करते हुए आदेश पारित करवाया गया। जिसे अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को नियम विरूद्व मानकर निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश की अपील माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत होने पर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त क निर्णय की पुष्टि की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा पूर्व के तथ्यों को छिपाते हुए येन–केन–प्रकारेण प्रचलित रास्ते को बन्द करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की तमाम स्थितियों व राजस्व रिकार्ड व मौके की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलांट का ना तो प्रथम दृष्टया मामला बनता है ना ही सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में बनता है। नाही अपीलांट गैर मुमकिन स्वीकृतशुदा रास्ते की सार्वजनिक भूमि बाबत् अपीलांट को किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति कारित होनी है। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से साबित है कि अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा गैरमुमकिन रास्ते के स्थान पर आराजीराज दर्ज करने के आदेश दिनांक 15–02–2008 को पारित किये गये। उक्त आदेश की अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का आदेश दिनांक 15–02–2008 निरस्त कर दिया गया तथा यह निर्देश प्रदान किये गये कि किसी पक्ष को रास्ते संबंधी परेशानी है तो वह उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत चाराजोई करें। उक्त आदेश के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष निगरानी पेश होने पर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

दिनांक 08–06–2008 को अपीलांट की निगरानी खारिज की गई तथा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर के निर्णय की पुष्टि की गई।

अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पुनः नये सिरे से वाद पेश करते हुए एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई। जिसकी अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत होने उक्त एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा के शीघ्र निस्तारण के आदेश प्रदान किये गये। उक्त आदेश के अनुसरण में उपखण्ड अधिकारी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का अंतिम रूप से निस्तारण किया गया।

चूंकि वादग्रस्त भूमि के बाबत् पक्षकारों के मध्य मामला पूर्व में निर्णित हो चुका है जिसकी पुष्टि मण्डल स्तर पर की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रास्ता रोकने हेतु नये सिरे से धोषणात्मक वाद के सहारे पुनः अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अस्थाई निषेधाज्ञा के बारे में बार–बार स्पष्ट किया जा चुका है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ते को बन्द नहीं किया जा सकता। वादग्रस्त भूमि पर सावर्जनिक उपयोग हेतु कायम रास्ता राजस्व अधिकारियों द्वारा खुलवाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई मामला नहीं बनता है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन पाये जाने पर इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।

Scanned by CamScanner